COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20
COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

(152)

नि.ग.-2728-I-16

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–जबलपुर

1– कस्तूरीबाई पति स्व. नारायण गिरी
2– महेश गिरी पुत्र स्व नारायण गिरी
3– मुकेश गिरी पुत्र स्व. नारायण गिरी
4– चन्द्रा बाई पुत्री स्व. नारायण गिरी
5– गायत्री बाई पुत्री स्व. नारायण गिरी
6– आशा बाई पुत्री स्व. नारायण गिरी
निवासीगण – मकान नं. 59/क
त्रिपुरी वार्ड गढ़ा जबलपुर (म.प्र.)
-- आवेदकगण

श्री ... चतुर्वेदी अधि. द्वारा आज दि. 16.8.16 को प्रस्तुत
16.8.16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन, द्वारा – कलेक्टर
जिला जबलपुर (म.प्र.)
-- अनावेदक

न्यायालय कलेक्टर, जिला जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 52/अ–21 /2015–16 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नाकिंत निवेदन है कि :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, विचारण न्यायालय के समक्ष ग्राम डगडगौवा प.ह.न. 26 (नान्हाखेडा) रा.नि.म. जबलपुर 2 तहसील जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 6 रकवा 2.02 है0 राजस्व अभिलेख में दर्ज अहस्तान्तरणीय विलोपित किये जाने एवं भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर, जिला जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया था। जिसके संबंध में तहसीलदार जबलपुर प्रतिवेदन बुलाया गया। जिसमें उल्लेख किया गया था कि बंदौबस्त मिसिल खसरा की प्रति वर्ष 1992 से स्पष्ट है कि नारायण गिरी पिता फुलगिरी शासकीय पट्टेदार दर्ज है उपरोक्त प्रविष्टी 1990–91 से वर्ष 1995–96 तक दर्ज है वर्ष 1997–98 से 2000–01 तक खसरे में शासकीय पट्टेदार बतौर दर्ज है। बंदौबस्त के पूर्व खसरा नं. 6 का नं. 4/1 था। वर्ष 2012 में तहसीलदार जबलपुर के आदेश दिनांक 30.04.2012 द्वारा नारायण गिरी के फौत होने पर वारिसो का नामान्तरण स्वीकार किया गया। पटवारी प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित भूमि पर आवेदकगण का नाम बतौर भूमि स्वामी दर्ज है। तथा वह कृषि कार्य कर रहे है उक्त प्रतिवेदन से पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदकगण को भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त हो गये है ऐसी स्थिति में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2728/एक/2016 जिला–जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
19.8.16	यह निगरानी आवेदकगण द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 52/अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदकगण ने कलेक्टर, जबलपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की गयी है, कि उसके स्वामित्व की भूमि ग्राम डगडगौवा प.ह.न. 26 (नान्हाखेडा) रा.नि.म. जबलपुर 2 तहसील जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 6 रकवा 2.02 है0 राजस्व अभिलेख में दर्ज अहस्तान्तरणीय विलोपित किये जाने एवं भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति प्रस्तुत किया है, क्योंकि उसे पारिवारिक आवश्यकताओ बच्चो के विवाह इत्यादि हेतु रूपयों की आवश्यकता है इसलिये वह भूमि विक्रय करना चाहते है अतः उपरोक्त भूमि पर अहस्तांतरणीय शब्द विलोपित किया जाकर भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान की जाये। उपरोक्त आवेदन पत्र को कलेक्टर जिला जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक 52/अ–21/2015–16 पंजीबद्व कर आवेदक के आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों की जॉच अनुविभगीय अधिकारी, (राजस्व) जबलपुर से करायी। जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर, जबलपुर ने आवेदक के प्रकरण में आदेश दिनांक 30.05.2016 पारित कर आवेदक के विक्रय अनुमति आवेदन पत्र को खारिज किया है इसी आदेश के विरूद्व इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं। 3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के	

तर्क सुने गये तथा आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का विधिवत् का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक द्वारा निगरानी में संलग्न धारा 5 के आवेदन पत्र में उल्लेख किया है उनके अभिभाषक द्वारा प्रकरण में पारित आदेश की कोई जानकारी नहीं दी गयी ऐसी स्थिति में जैसे ही उन्हे प्रकरण में पारित आदेश की जानकारी हुयी तो तत्काल् नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया एवं नकल प्राप्त होने पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में अभिभाषक की त्रुटि के लिये पक्षकार को दण्डित नहीं किया जाना चाहिये इसी सिद्वांत के अनुसार यह पुनरीक्षण अन्दर अवधि मे मान्य किया जाता है

5– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी के यहॉ से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर जबलपुर ने आदेश दिनांक 30.05.2016 को आवेदन पत्र पर सद्भाविक विचार नहीं किया। जबकि कलेक्टर, जबलपुर को आवेदन पत्र पर सद्भाविक विचार कर आदेश पारित करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में आवेदक का विक्रय अनुमति आवेदन जॉच प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी विक्रय अनुमति मिलने पर विचार होने से रह गया, अतः विचाराधीन निगरानी स्वीकार कर विक्रय अनुमति दिये जाने का निवेदन किया गया। अनावेदक के अभिभाषक ने इसका विरोध करते हुये कलेक्टर के आदेश को यथावत रखने की प्रार्थना की।

6– उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्को एवं उनकी ओर से प्रस्तुत स्पष्ट है कि आवेदकगण के पिता का नाम नवीन बंदोबस्त मिसिल खसरा वर्ष 1992 में शासकीय पट्टेदार के रूप में दर्ज है उक्त प्रविष्टी वर्ष 1991–92 वर्ष 1995–96 तक खसरे में दर्ज है इसके पश्चात् 1997–98 से 2000–01 के खसरे में शासकीय पट्टेदार बतौर दर्ज है जिसके पश्चात् नारायण गिरी के फौते होने पर उनके वारिसो का नामान्तरण स्वीकार किया गया है। ऐसा प्रतिवेदन तहसीलदार जबलपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है इससे

स्पष्ट है कि उपरोक्त भूमि आवदेकगण के पिता को पट्टे पर दी गयी थी किन्तु उन्हे विधि के प्रभाव से भूमि स्वामी स्वत्व प्रोदभूत हो गये है ऐसी स्थिति में कलेक्टर जिला जबलपुर का यह निष्कर्ष अपने स्थान पर उचित नहीं है तहसीलदार जबलपुर के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आवेदकगण की भूमि उनके स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि है उपरोक्त प्रतिवेदन का विधिवत् विवेचन किये बिना वर्तमान प्रकरण में आदेश पारित किया गया है जबकि भूमि स्वामी को परिस्थितियों के अनुसार भूमि विक्रय की अनुमति दिये जाने से इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि आवेदक की निजी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भूमि के विक्रय किये जाने में कोई अड़चन नहीं है। मुख्य रूप से यह देखना होता है कि विक्रेता को भूमि का वास्तविक प्रतिफल प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं और क्या वर्तमान गाईड लाईन के अनुसार है। इस प्रकरण में विक्रेता को जो मूल्य प्राप्त हो रहा है वह गाईड लाईन के अनुसार है ऐसी स्थिति में विक्रेता के साथ कोई छल कपट नहीं किया जा रहा है ऐसी स्थिति में विक्रेता की निजी आवश्यकतओं जैसे बच्चो के विवाह आदि हेतु रूपयों की आवश्यकता होने से भूमि विक्रय की जा रही है। उन वैधानिक स्थितियों पर कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है। प्रकरण के आये तथ्यों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि आवेदको के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है, इस संबंध में न्यायालय तहसीलदार (ग्रामीण) जबलपुर जिला जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 167/बी–121/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 12.05.2014 पारित किया है जिसमें आवेदकगण को भूमि स्वामी हक प्रदान किये गये है। ऐसी स्थिति में भूमि के विक्रय किये जाने के अनुमति से इंकार नहीं किया जा सकता। और न ही अधीनस्थ न्यायालय को विक्रय अनुमति दिये जाने में किसी भी प्रकार की वैधानिक अड़चन नहीं थी किन्तु कलेक्टर जबलपुर ने इस तथ्य पर विचार किये बिना जो आदेश पारित किया है, वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

9– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 52/अ–21/2015–16 में पारित

आदेश दिनांक 30.05.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं आवेदको को ग्राम डगडगौवा प.ह.न. 26 (नान्हाखेडा) रा.नि.म. जबलपुर 2 तहसील जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 6 रकवा 2.02 है0 राजस्व अभिलेख में दर्ज अहस्तान्तरणीय विलोपित किये जाने एवं भूमि विक्रय किये जाने की अनुमति दी जाती है।

सदस्य